"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2017 — चैत्र 3, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 (चैत्र 3, 1939)

क्रमांक-3835/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) जो शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 6 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 66 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 66 में, उप-धारा (4) में,-

(क) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो) जनपद पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी, उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से,"

(ख) खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(तीन) जिला पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से,"

उद्देश्य और कारणों का कथन

विद्यमान में प्रवर्तनशील छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के अंतर्गत जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर पंचायत निधि से राशि आहरित करने के संबंध में एकल अधिकारी के हस्ताक्षर से राशि आहरित करने का प्रावधान है, जो वित्तीय अनुशासन बनाये रखना सुनिश्चित करने तथा पंचायत निधि से अनाधिकृत अथवा अनियमित आहरण को निवारित करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है. अत: जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के आहरण में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने एवं अनाधिकृत अथवा अनियमित आहरण के निवारणार्थ एकल प्राधिकारी के हस्ताक्षर से आहरण के प्रावधान के स्थान पर संयुक्त प्राधिकारियों के हस्ताक्षर द्वारा पंचायत निधि से आहरण का प्रावधान किया जाना समीचीन है.

अस्तु, तद्नुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 66 में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 21 मार्च, 2017

अजय चंद्राकर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 66 उपधारा का उद्धरण

धारा 66 - पंचायत निधि

(1) प्रत्येक पंचायत, एक निधि स्थापित करेगी, जो पंचायत निधि कहलायेगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगी.

(2) पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति और पंचायत निधि का इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुये उपयोजन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये साधारणत: पंचायतों के विकास संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिये या ऐसे अन्य व्यय के लिये किया जायेगा, जो राज्य सरकार किसी पंचायत के आवेदन पत्र या अन्यथा लोकहित में अनुमोदित करें पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने या उपखजाने या डाकघर या सरकारी बैंक या अनुसूचित बैंक या उसकी शाखा में रखी जायेगी.

(3) राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कार्य या प्रयोजन के लिये पंचायत को आबंटित किसी राशि का उपयोग केवल उसी कार्य या प्रयोजन के लिये तथा ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा, जो राज्य सरकार इस संबंध में साधारणत: या विशेषत: जारी करें.

साधारणत: या विशेषत: जारी करें.

(4) पंचायत निधि में से समस्त रकमें-

(एक) ग्राम पंचायत के मामले में, सरपंच तथा सचिव या किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी, जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, के संयुक्त हस्ताक्षर से;

"(दो) यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया हो, हस्ताक्षर से, निकाली जाएंगी :

परन्तु जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में समस्त रकमें केवल, वार्षिक बजट के अनुसार विस्तृत कार्य योजना की व्यवस्था करने के प्रयोजनों हेतु यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से ही निकाली जाएंगी :

परन्तु यह और भी कि पंचायत निधि में की समस्त प्राप्तियों तथा पंचायत निधि में से समस्त आहरण से संबंधित जानकारी पंचायत के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में रखी जाएगी."

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.